उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 193/2023–24 दिनांक : 27.10.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री विपिन कुमार शर्मा, परिवादी
वार्ड नं0 10, डॉ0 कलसी वाली गली, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री विपिन कुमार शर्मा की यह शिकायत दिनांक 11.10.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2K712064508 (03 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिलों में रू0 597.00 जुड़ते आ रहे है जबकि उनके द्वारा विद्युत बिलों का पूर्ण भुगतान किया जा रहा है फिर भी विभाग द्वारा अग्रिम बिल में रू0 597.00 जोड़कर प्रेषित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनें विद्युत बिल में जुड़ रही धनराशि रू0 597.00 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 27.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के विद्युत बीजकों का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिल (Current bill) का भुगतान किया जा रहा था, जिस कारण परिवादी

क्रमशः 2.....

के विद्युत बीजक में पुराना बिल धनराशि रू0 597.00 जुड़कर आ रहा था। दिनांक 10.10.2023 को परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिल की शेष धनराशि रू0 597.00 का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जिसके उपरांत परिवादी के लेजर में वर्तमान में कोई धनराशि शेष नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

27/10/2023

27/10/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)	(नवीन चन्द्र तिवारी)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य